

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002. Phone- 0651-2481909 (O) / 2480413 (F) email - pccfjk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक-IIE-19(A)59/2015-- 4091

दिनांक- 31/12/15

प्रेषक,

बी०सी० निगम,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची।  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्य० निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची।  
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड।  
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, झारखंड।  
सभी वन संरक्षक, झारखंड।  
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड।

विषय :- दि०-11-12 जनवरी 2016 को वन अधिकारियों की कार्यशाला एवं समीक्षात्मक बैठक।

महाशय,

विभागीय समीक्षा हेतु तृतीय तिमाही बैठक से संबंधित एजेंडा इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। इस अवसर पर वन अधिकारियों की एक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि निर्धारित स्थान एवं समय पर बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारी इसमें भाग लेंगे। सभी भा०व०से० के सभी परीक्ष्यमान अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।

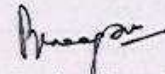
बैठक से संबंधित प्रतिवेदन दि०-07.01.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

स्थान- झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण  
सभागार, डोरंडा, रांची।

तिथि- 11.01.2016 (प्रातः 10.00 बजे)  
12.01.2016 (प्रातः 09.00 बजे)

  
(बी०सी० निगम)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक- 4091

रांची, दि०- 31/12/15

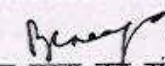
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, वन विकास निगम, झारखंड, रांची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जलच्छाजन मिशन, झारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए अनुरोध करना है कि वे भी संबंधित बिंदुओं पर विचार-विमर्श हेतु बैठक में भाग लें।

ज्ञापांक- 4091

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 4091

प्रतिलिपि : इन्विस सेल, वन भवन, डोरंडा, रांची को PCCF's Instruction में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

## बैठक हेतु विचारणीय बिंदु/एजेंडा-

1. पूर्व की तिमाही समीक्षात्मक बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन-
  - I. वन प्रमंडल पदाधिकारी से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर तक के क्षेत्रीय कार्यालयों की मासिक दैनिक समर्पण की अधिकारीवार अद्यतन प्रतिवेदन ।
  - II. क्षेत्रीय अधिकारियों (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक) द्वारा समर्पित क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन की विवरणी ।
  - III. पर्सनल ग्रीवांस एंड इन्फोरमेशन सिस्टम से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन)- दिनांक 6-7 की बैठक का बिन्दू 3(iv) ।
  - IV. रांची शहर को हरा-भरा करने हेतु मास्टर प्लान (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची I) ।
  - V. पथ तट रोपण के वृक्षों के दोहन/उपयोग हेतु नीति निर्धारण (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग) ।
2. योजना एवं गैर योजना में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा । सभी संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, झारखंड अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के व्यय के प्रतिशत का समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे । कुल आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का आंकड़ा भी बताएंगे तथा माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2016 तक के व्यय का प्रोजेक्शन भी देंगे ।
3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्थल विशेष की योजनाओं की स्वीकृति हेतु स्थल विशेष/विशिष्ट सूचनाएं एवं प्राक्कलन 15 फरवरी 2016 तक देने का निदेश सरकार द्वारा दिया गया है । क्षेत्रवार एवं कार्यवार उसकी समीक्षा की जाएगी । सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे अब तक की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति देंगे एवं 15 फरवरी 2016 तक प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे ।
4. झारखंड राज्य गठन के पश्चात् किए गए वृक्षारोपण का आंकड़ा निर्धारित प्रपत्र में (एक्सल फॉरमेट) मांगा गया था । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास इसे प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वनरोपण की उत्तरजीविता प्रतिशत भी हो, इससे संबंधित अप्लीकेशन भी तैयार होनी थी, उसकी अद्यतन स्थिति भी प्रस्तुत करेंगे एवं अप्लीकेशन का डेमोस्ट्रेशन भी देंगे ।
5. विभिन्न विभागीय अस्थायी कार्यालयों एवं पदों के स्थायीकरण हेतु पदों के स्वीकृतादेश संबंधी अभिलेख (जिन्होंने नहीं दिए हैं) साथ लाएं एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रशासन को समर्पित करें ।
6. मोबाईल एवं डेस्कटॉप अप्लीकेशन की समीक्षा-
  - I. NIMS एवं PIMS में संबंधित प्रमंडलों द्वारा एवं अधिकारियों द्वारा कितनी प्रतिशत प्रविष्टि की गई है । इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक सूचना देंगे । यह भी बताएंगे कि भविष्य में शत-प्रतिशत प्रविष्टि के लिए उनकी रणनीति क्या है ?

*Handwritten signature*

- II. एसेट मैनेजमेंट अप्लीकेशन में सभी कार्यालय द्वारा शत-प्रतिशत इंट्री का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किया जाय।
7. पोलीगन अपलोडिंग- वर्ष 2015-16 में अग्रिम कार्य के पोलीगन शत-प्रतिशत अपलोड किए जाये। कार्यालयवार प्रतिवेदन लाएं, जिसकी समीक्षा होगी।
8. पूर्व के वनरोपण एवं कैंपा के पोलीगन अपलोडिंग की समीक्षा -
9. कैम्पा- संबंधित निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा -
  - I. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (QPR-1,2&3)
  - II. मासिक लेखा संधारण एवं समर्पण।
  - III. वित्तीय वर्ष 2015-16 में वनरोपण अग्रिम कार्य हेतु स्थल चयन समिति द्वारा चयनित स्थलों की सूची।
  - IV. संपादित वृक्षारोपणों से संबंधित उत्तरजीविता प्रतिवेदन (अक्टूबर, 2015 की गणना)।
  - V. बैकलॉग क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण (तीन वर्षीय कार्य योजना)।
  - VI. ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर कैंपा अंतर्गत संपादित कार्यों से संबंधित सूचना (Polygon सहित) के अपलोडिंग में प्रगति।
  - VII. वन भूमि अपयोजन के मामलों में प्रयोक्ता संस्थानों से प्राप्त राशि एवं Ad hoc CAMPA में जमा की गयी राशि से संबंधित Reconciliation प्रतिवेदन (साथ में अलग से कोषागार में राजस्व/अन्य मद में जमा राशि का विवरण सहित)।
  - VIII. वार्षिक कार्य योजना 2016-17 के लिये प्रस्ताव।
10. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की लंबित स्थिति की समीक्षा एवं इससे संबंधित कोई अन्य विषय।
11. वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
12. मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा-
  - I. सेवांत लाभ से संबंधित मामले का अद्यतन प्रतिवेदन।
  - II. विभागीय कार्यवाही से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।
  - III. CPGRAM/मुख्यमंत्री जन संवाद से संबंधित लंबित मामले का प्रतिवेदन (वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का मंतव्य के साथ)।
  - IV. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा के लंबित प्रश्नोत्तर सामग्री।
  - V. वनपाल से वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अंचलीय स्थापना समिति कराकर अद्यतन प्रतिवेदन।
  - VI. HRMS से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची के कार्यालय के पत्र सं०-3952, दि०-17.12.2015 के अनुसार प्रतिवेदन।
  - VII. HRMS से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची के कार्यालय के पत्र सं०-3947, दि०-17.12.2015 के अनुसार प्रतिवेदन।
  - VIII. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, झारखंड, रांची के कार्यालय के पत्र संख्या-3125, दि०-23.09.2015 के अनुसार बायोमैट्रिक (AEBAS) से संबंधित मांगा गया अद्यतन प्रतिवेदन।
  - IX. स्थापना से संबंधित अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन।

*Am.*

- X. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/रीजन/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय अंतर्गत स्वीकृत वन प्रक्षेत्र का नाम एवंउनमें पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारियों का नाम एवं उनके विगत दो पदस्थापन की विवरणी ।
- XI. सभी रीजन अंतर्गत रिक्त/द्वैत प्रभार वाले वन प्रक्षेत्र की सूची एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी का नाम ।
- XII. राज्य वन सेवा के आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराना ।

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम | जन्म तिथि | सीधी भर्ती/ प्रोन्नति | आरक्षण कोटि (SC/ST/GEN/BC-I/BC-II/अन्य) | अभ्युक्ति |
|----------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                | 3         | 4                     | 5                                       | 6         |
|          |                  |           |                       |                                         |           |

- XIII. कार्यालयवार सेवा पुस्तिका की उपलब्धता एवं इसकी प्रविष्टि की समीक्षा ।
- XIV. कितने वन क्षेत्र पदाधिकारियों को बगैर वेतन पुर्जा के वेतन का भुगतान प्रमंडलवार किया जा रहा है, की सूची समीक्षा हेतु लाएं ।
13. विभिन्न विभागीय प्रतिवेदनों की समीक्षा—

- राजस्व वसूली से संबंधित प्रतिवेदन ।
- लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष एवं पिछले तीन वर्षों की स्थिति ।
- निम्न लेखाओं के समर्पण की स्थिति प्रमंडलवार चार्ट के रूप में सभी प्रमुखों को समर्पित करेंगे ।

सामान्य लेखा कैपा, मनरेगा, जलच्छाजन, एफ0डी0ए0, बम्बू मिशन, मेडिशनल प्लांट बोर्ड एवं अन्य कोई हो ।

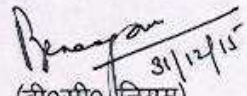
- जब्त वाहनों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन । सभी कार्यालय प्रमुख प्रमंडलवार एक वर्ष, दो वर्ष एवं उससे अधिक अवधि से पड़े वाहनों के आंकड़े एवं संख्या के साथ प्रतिवेदन लाएंगे ।
- जब्त काष्ट की समीक्षा सभी कार्यालय प्रमुख उनके प्रक्षेत्र में कुल जब्त एवं निष्पादन हेतु उपलब्ध काष्ट की मात्रा समेकित रूप से एवं प्रमंडलवार बताएंगे ।
- भारतीय वन अधिनियम के तहत दायरवादों से संबंधित प्रतिवेदन सभी प्रमंडल प्रमंडलवार, एक वर्ष से ज्यादा अवधि से लंबितवादों की सूचना देंगे ।
- माननीय उच्च न्यायालय में दायरवाद, डब्लूपी(एस), डब्लूपी(सी), एलपीए से संबंधित प्रतिवेदन ।
- माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद से संबंधित प्रतिवेदन ।

14. अन्य निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं, जो समर्पित की जाती हों ।

15. अपने कार्यक्षेत्र में यदि किसी अधिकारी ने कोई नया प्रयास (Innovation) किया हो तो उस पर 5 slide का एक Presentation दि०-05.01.2016 तक ई-मेल (forestinnovation123@gmail.com) पर भेज दें । चयनित प्रजेंटेशन (5-10 मिनट) को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय रखा जाएगा ।

किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कन्सल्टेशन स्किट्स इत्यादि पर एक प्रजेंटेशन को भी इस कार्यशाला में रखने का प्रयास किया जा रहा है ।

16. अन्यान्य ।

  
(बी०सी० निगम)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक